पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 186/2017

अनवान :

1. धोलू पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– **असल प्रतिवादी**

3. सुमन पुत्री शेरसिंह पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी नेठराना हाल रौड़ी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. मोनिका पुत्री शेरसिंह पत्नी रघूवीर जाति जाट निवासी नेठराना हाल रौड़ी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 एनटीआर के खाता सं0 87/77 के मु0नं0 24 के किला नं0 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की कुल 3.289 मु0नं0 38 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.566 है0, मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.879 है0 नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/32 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 एनटीआर के खाता सं0 216/200 के मु0नं0 39 के किला नं0 7, 8, 13, 18, 23 की कुल 1.265 है0 मु0नं0 42 के क़िला नं0 3, 17, 18/1, 23, 24 की कुल 1.138 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 3, 4 की कुल 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 2.909 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 3 व 4 ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.1.18......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 186/2017

अनवान :

1. धोलू पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– असल प्रतिवादी

3. सुमन पुत्री शेरसिंह पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी नेठराना हाल रौड़ी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
4. मोनिका पुत्री शेरसिंह पत्नी रघूवीर जाति जाट निवासी नेठराना हाल रौड़ी तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

निर्णय **दिनांक :** 4.1.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 एनटीआर के खाता सं0 87/77 के मु0नं0 24 के किला नं0 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 21 की कुल 3.289 मु0नं0 38 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.566 है0, मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.879 है0 नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/32 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 एनटीआर के खाता सं0 216/200 के मु0नं0 39 के किला नं0 7, 8, 13, 18, 23 की कुल 1.265 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 3, 17, 18/1, 23, 24 की कुल 1.138 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 3, 4 की कुल 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 2.909 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/8 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता सहीराम से विरासतन प्राप्त हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें मुझ वादी धोलू व प्रतिवादिया सं0 3 व 4 सुमन व मोनिका का जन्म से हक्र व हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम महज कर्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पैतृक कृषि भूमि बाबत यही जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 संलग्न दावा है। क्योंकि वादी के दादा सहीराम के फौत होने पर ही यह कृषि भूमि दिनांक 05.05.2017 को विरासतन वादी के पिता के नाम दर्ज हुई हैं जो चालू जमाबंदी में अमल दरामद है।

प्रतिवादीया सं0 3 व 4 सुमन व मोनिका की शादी आज से काफी समय पूर्व बड़ी धूमधाम से कर दी गई थी। वे दोनों अपने ससूराल में आबाद है। उन्होने अपना हिस्सा मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में राजी--खुशी हिन्दू रिति रिवाज की परम्परा के मुताबिक परित्याग कर दिया है एवं ना ही उन्होने कभी भी उपरोक्त कृषि भूमि को काश्त किया है। उपरोक्त कृषि भूमि को हम दोनों, वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 बराबर–बराबर काश्त करते है व हम दोनों अपने हिस्से के अनुसार लगान आदि अदा करते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3, 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी धोलु के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 एनटीआर खाता सं0 87/77 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1 व असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित आराजी दादालाई पैतृक कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 5 एनटीआर में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 एनटीआर खाता सं0 87/77 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है उसमें इंतकाल सं0 986 की प्रविष्टी अंकित है जिसके अनुसार विवादित आराजी सहीराम के फौत होने के बाद विरासतन शेरसिंह के नाम दर्ज हुई है एवं प्रदर्शित असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श में शेरसिंह के वारिसान में पत्नि गुड्डीदेवी, एक पुत्र धोलू व दो पुत्रियां मोनिका व सुमन होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि चक 5 एनटीआर के खाता सं0 87/77 के मु0नं0 24 के किला नं0 23, 24, 25 की कुल 0.759 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1, 2, 3, 8 तां 13, 18 ता 21 की कुल 3.289 मु0नं0 38 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 25 की कुल 5.566 है0, मु0नं0 43 के किला नं0 1 ता 5 की कुल 1.265 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 10.879 है0 नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/32 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 एनटीआर के खाता सं0 216/200 के मु0नं0 39 के किला नं0 7, 8, 13, 18, 23 की कुल 1.265 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 3, 17, 18/1, 23, 24 की कुल 1.138 है0 मु0नं0 59 के किला नं0 3, 4 की कुल 0.

उपखण्ड अधिकारी (हस्ताक्षर) जिला-हनुमानगढ़)